

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर

-: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 एवं तत्संबंधी जारी संशोधन के तहत निम्नांकित द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति सीधी भर्ती के तहत दो वर्ष के परीवीक्षा काल पर की गई थी। इन कार्मिकों को कॉलम संख्या 6 में अंकित तिथि से स्थाई किया जाता है। इनकी वरिष्ठता राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 29 के तहत निर्धारित होगी।

क्र.स.	APP. ID	नाम कार्मिक मय पिता/पति का नाम एवं पदस्थापन स्थान श्री/ श्रीमति/सुश्री	विषय	जन्म तिथि	द्वि.वृ.श्रे. में अनवरत कार्यरत दिनांक	स्थाईकरण दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	74858	शाबीर मसूद, व0अ0 वर्तमान व्याख्याता राउमावि0 मेहन्दवास टोंक	उर्दू	24/09/1964	08/02/1992	08/02/1994

(धर्मेन्द्र कुमार जाटव)
संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,
अजमेर संभाग, अजमेर

क्रमांक संनि/स्कूल शि./अज/संस्था-4/फा-स्थाई/22/ 2153 दिनांक-19.05.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-1.

1. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा
2. संस्था प्रधान उमावि/मावि (छात्र/छात्रा).....
3. संबंधित कार्मिक
4. निर्देशन

संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,
अजमेर संभाग, अजमेर